<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

<u>श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा</u>
<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष</u>

<u>आ. अ. सं. 630/ इंदौर /2018</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2014-15</u>

श्री सुशील कुमार जैन	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त, उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीवीपीजे 1461 ई		

अपीलार्थी की ओर से	श्री विक्रम गुप्ते, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री के.जी.गोयल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.07.2020
उद्घघोषणा तिथि	29.07.2020

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त, उज्जैन द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के अधीन पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन दिनांक 24.07.2020 प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । अतः उसने इस अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने

का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 29.07.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 29.07.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल